अधिवक्ता

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर उच्चतर न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के पूर्वतन मत पोषण कर निर्णय पक्षिया के हकदार निष्कासन प्रकरण के सम्बन्धित सूचि के साक्ष्य में वादपत्र के कथन लोक अदालत के माध्यम से गाँव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा गाँव समाज के समीकरण करवा दिया है जिसे विवादित भूमि के सम्बन्ध में हुए वादपत्र के कथन कोई विवाद नहीं रहा है जिसके तहत हम उक्त निष्कासन प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उक्त निष्कासन प्रकरण आदि समीकरण विवाद समाप्त करते हैं। अधीनस्थ व सर्वोच्च के निर्णय पर उक्त निष्कासन प्रकरण आदि समीकरण विवाद समाप्त किया जाता है। सम्बन्धी निर्णय दुरुस्त होकर निष्पक्ष दरकार है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:16:34 IST
Reason: SelfAttested